न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 51/2001
दायरी दिनांक : 26.06.2001

अनवान

1. मांगीलाल पिता हरलाल मुतबन्ना हमीरा जाति जाट निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ मृतक जरिये वैध प्रतिनिधिः–
   - 1.1 मोडू पिता मांगीलाल जाति जाट निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ़।
   - 1.2 प्रेम पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ़।
   - 1.3 भंगवती पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ़।

वादीगण....

बनाम

1. घीसा पिता बालू जाति जाट निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ़ मुतक जरिये वैध प्रतिनिधिः–
   - 1.1 मु0 प्यारी पत्नि घीसा जाति जाट निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ़।
   - 1.2 शंकर पिता घीसा जाति जाट निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ़।
   - 1.3 टोमा पुत्री घीसा पत्नि भैरू जाति जाट निवासी देवली तहसील बैंगु।
   - 1.4 समता पुत्री घीसा पत्नि जाति जाट निवासी माताजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. कल्याण पिता बालू जाति जाट निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ।

प्रतिवादीगण.....

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता वादी)।
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांकः 13.01.2023

वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र बाद जांच के प्रस्तुत होने पर दर्ज योग्य पाये जाने से दर्ज रजिस्टर्ड के आदेश दिये गये एवम प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलबी की गयी।

वादी द्वारा मोजा सिगोंली प0ह0 सिगोली के खाता सख्या 324 पर दर्ज खसरा सख्या 524 रकबा 10 बिस्वा खसरा सख्या 526 रकबा 3 बीधा 17 बिस्वा ख0न0 532 रकबा 4 बीधा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीधा 16 बिस्वा मे हमीरा पिता भज्जा हिस्सा 1/2 जाट मांगीलाल पिता हरलाल हिस्सा 1/2 दर्ज होना बताया व इसके अतिरिक्त खाता सख्या 150 के खसरा सख्या 527 रकबा 1 बीधा मोजा सिंगोली मे नारायण, कल्याण, घीसा पिता बालु 1/2 हिस्सा, हमीरा पिता भज्जा 1/4, मांगीलाल पिता हरलाल 3/16 कन्हैयालाल पिता मथूरालाल ब्राहमण 1/16 निवासी सिगोली, इसी प्रकार खाता सख्या 323 पर दर्ज खसरा सख्या 525 रकबा 3 बीधा 6 बिस्वा हमीरा पुत्र भज्जा 1/2 कन्हैयालाल पिता मथुरालाल 1/2 ब्राहमण सा0देह के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है।

हमीरा पुत्र भज्जा जाट के कोई संतान नही थी इसलिए हमीरा जाट ने वादी को गोद लिया हमीरा की मृत्यु हो जाने से उसके नाम पर दर्ज भूमि वादी को हमीरा जी द्वारा गोद लिये जाने से वह हमीरा के हिस्से मे दर्ज भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। हमीरा जी की अन्तिम समय तक सेवा की उसका काज करियावर व उनकी पगडी वादी के बन्धी इसलिए वादी हमीरा जी के खातेदारी भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

खातेदार हमीरा पुत्र भज्जा जाट की मृत्यु के बाद उसके कब्जे व खाते की भूमि पर वादी का कब्जा हो गया जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को वादी के कब्जे मे किये जाने हस्तक्षेप व बेदखली के प्रयास को रोकने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादी द्वारा स्व0 हमीरा पिता भज्जा जाट की खातेदारी मे दर्ज भूमि का वादी के गोद पुत्र होने से खाता खोलने हेतु आवेदन करने व पटवारी को निवेदन करने पर नही खोल रहे है। वादी ने धारा 88–188 रा0टि0एक्ट के तहत यह वाद पेश कर अनुतोष मांगा है कि वादी को वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी प्रदान की जाये।

प्रतिवादीगण कम 1 व 2 की सम्मन द्वारा तलबी किये जाने पर जरिये अभिभाषक के उपस्थित हुये व वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 ने वादी के प्रस्तुत वाद तथ्यो को सीरे से सभी वाद चरणो को अस्वीकार कर बचाव लिया कि स्व0 हमीरा पुत्र भज्जा जाट ने वादी मांगीलाल को गोद नही लिया न ही उनकी सेवा सुश्रुषा की न उनका काज करियावर किया न ही हमीरा जी की पगड्डी मांगीलाल के बंधी न ही हमीरा जी की खातेदारी भूमि पर मांगीलाल का कब्जा है।

स्व. हमीरा पुत्र भज्जा जी जाट ने घीसा पुत्र बालू जाट निवासी सिंगोली की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न था इसलिए उसने वादग्रस्त कृषि मे व अपनी चल अचल सम्पति को जरिये पंजीकृत वसीयत दिनांक 23–10–1989 से प्रतिवादी सख्या एक को दे दी। वसीयत के समय हमीरा जी स्वस्थ मस्तिष्क व शरीर थे। वसीयत के बाद भी वे 12 वर्ष तक जीवित रहे है। प्रतिवादी सख्या एक ने उनके अन्तिम समय कार्यक्रम किया व पगड्डी का दस्तूर भी जाति समाज के पारिवारिक के सामने प्रतिवादी घीसा के बाधी गयी।

हमीरा जी की मृत्यु के बाद उनके हमीरा जी की सभी खातो मे दर्ज भूमि पर प्रतिवादी घीसा का ही कब्जा है इसलिए प्रतिवादी सख्या एक को वादग्रस्त जायदाद पंजीकृत वसीयत व कब्जे के आधार पर अपने खाते मे कराने का अधिकार है। हमीरा जी की मृत्यु के वसीयतनामा दिनांक 23–10–1989 प्रभावी हो चुका है। प्रतिवादी सख्या एक के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के पश्चात हमीरा जी ने अपने खाते मे दर्ज भूमि को न तो भूमि किसी को बेची न कब्जा दिया न ही अन्य के पक्ष मे दूसरा वसीयतनामा किया। वादी स्वंय द्वारा इकरारनामे का प्रतिवादी सख्या एक के पक्ष मे वसीयत व कब्जे को स्वीकार करते हुये राजीनामा कर लिया। वादी का वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा नही है।

वादी की और से हमीरा पुत्र भज्जा जी जाट के खाते की जमाबन्दी पर प्रस्तुत की गयी।

प्रतिवादी सख्या एक वसीयत नामा व राजीनामा पेश किया।

वाद एवम जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1 आया ग्राम सिगोली स्थित आ0ख0न0 524, 526, 532, 525, एवम 525 में हमीरा पिता भज्जा जाट के बजाय वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। **जिम्मे वादी**

2 आया वादी वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करने बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। **जिम्मे वादी**

3. आया मृतक हमीरा द्वारा दिनांक 23–10–1989 को प्रतिवादी घीसा के पक्ष मे वसीयनामा पंजीकृत कराया गया तभी से वह हमीरा के हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। **जिम्मे प्रतिवादीगण**

4 आया मृतक हमीरा द्वारा वादी के पक्ष मे कोई गोदनामा निष्पादित नही किया गया है। **जिम्मे प्रतिवादीगण**

5 आया अनुतोष क्या होगा ?

वादी ने अपने वाद को सिद्व करवाने के लिए वादी मांगीलाल जाट, लक्ष्मण दरोगा व जगदीशचन्द पारासर के बयान करवाये।

प्रतिवादीगण कमाक 1 व 2 ने प्रतिवादी घीसा पुत्र बालू, कल्याण पुत्र बालू, मांगीलाल पिता रामा जाट निवासी सिगोंली, मांगीलाल पिता रामा जाट, उदयलाल पिता ऊकार जाट सभी निवासी सिगोंली के बयान करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
गाण्डलगढ

Scanned with CamScanner

वादी मांगीलाल ने वादपत्र की ताईद करते हुये अपना मुख्य परिक्षण सशपथ करवाया। जिसमे अपने को हमीरा जी का गोदपुत्र होने का कथन करते हुये अपने को हमीरा जी का उत्तराधिकारी बताया और पगड़डी बन्धना काज करियावर करना व वादग्रस्त भूमि पर हमीरा जी की मृत्यु के बाद कब्जा होने का कथन किया।

इस गवाह ने जिरह मे स्वीकार किया कि उसके पास गोद की लिखा पढी नही है हमीरा मेरा काका लगता था, बालू जी के पिता का नाम नोला था, (1 व 2 का पिता) नोला, रूपा भज्जा सगे भाई थे। मेने हमीरा जी के करियावर की चिटठी पेश नही की है। हमीरा जीवित था तब में उनके साथ जमीन बोता था यह कहना गलत है मैने राजीनामे की लिखा पढी की हो। बालू के तीन लडके घीसा नारायण व कल्याण थे। वसीयत फर्जी पेश की गयी है।

वादी के गवाह पी.डब्ल्यू 2 लक्ष्मण दरोगा ने मुख्य परिक्षण में कथन किया की भज्जा जी के दो लडके हरलाल व हमीरा थे हमीरा के कोई ओलाद नही थी। उसने मांगीलाल को गोद रखा । हमीरा का काज करियावर मांगीलाल ने किया। हमीरा की जमीन पर मांगीलाल का कब्जा है।

जिरह में माना की मुझे बागीत गये हुये 20 साल हो गये है। सिंगोली मे मेरा मकान नही है। हमीरा भारतसिह जी गुवाडी मे मरा था। हमीरा मरा तब मांगीलाल पास वाली गुवाडी मे रहता था। हमीरा ने मांगीलाल को 40 साल पहिले गोद लिया था।

पी.डब्ल्यू 3 जगनाथ जाट ने स शपथबयान दिया की उसने भज्जा को नही देखा हमीरा ने किसी को गोद नही रखा। हमीरा की सेवा मांगीलाल ने की। हमीरा का काज करियावर किसने किया। मुझे पता नही है। वादग्रस्त जायदाद पुश्तेनी हो तो पता नही है।

जिरह मे कथन किया कि हमीरा सांवतसिह जी सामने वाले मकान मे रहता था। मांगीलाल मोहनसिह जी के सामने वाले मकान मे रहता है जो सांवतसिह जी के मकान से 1 फर्लांग दूर है।

प्रतिवादीगण मे से प्रतिवादी घीसा व कल्याण के बयान हुयी जिन्होने मुख्य परिक्षण द्वारा जवाब दावा साबित हो उस अनुसार बयान दिये। घीसा ने अपने बयान मे वसीयत को प्रर्दश करवाया व हमीरा की मृत्यु के बाद उसकी जायदाद पर वसीयत अनुसार कब्जा होने का कथन किया। प्रतिवादी ने गवाह कल्याण ने घीसा के सशपथ दिये बयान की ताईद की है।

जिरह मे भी दोनो गवाहन वादी के अभिभाषक द्वारा जिरह मे पूछे गये प्रश्नो करीब करीब एक ही तरह का जवाब दिया है जमीन का आराजी नम्बर नही जातना हूँ भज्जा नोला व रूपा सगे भाई थे। भज्जा के दो लडके हो तो पता नही है। हमीरा जी के कोई औलाद नही थी। वे 6 साल पहिले मरे। हमीरा जीवित था तब अलग रहता था। यह गलत है कि हमीरा ने 50 साल पहिले मांगीलाल को गोद रखा हो। यह भी कहना गलत है कि हमीरा का काज करियावर मांगीलाल ने किया हो और पगगडी बांधी हो । वसीयतनामा 18 साल पहिले लिखा था। यह कहना गलत है कि जमीन पर कब्जा मेरा (घीसा) नही हो।

प्रतिवादीगण की ओर से गवाह सख्या 3 व 4 पेश किये गये जिनके नाम व पिता का नाम एक जैसा हो जातियो व उम्र मे फर्क है दोनो गवाह ने दोनो को पूछे गये एक जैसे प्रश्न का एक जैसा उत्तर दिया है। उनहोने सशपथ कहा है कि हमीरा की जमीन घीसा पिता बालू जाट के पास रही। घीसा हमीरा के पास रहता था उसकी सेवा चाकरी करता था। घीसा ने हमीरा का काज करियावर किया। घीसा के पक्ष मे हमीरा ने बक्षीसनामा किया। मांगीलाल हमीरा के दाह संस्कार मे नही आया।

जिरह में कथन किया कि घीसा मेरे कुछ नही लगता है। जाति समाज का है। हरला का लडका मांगीलाल है। हमीरा के औलाद नही थी यह कहना गलत है कि हमीरा ने मांगीलाल को गोद लिया हो। यह कहना गलत है हमीरा की जायदाद पर मांगीलाल काश्त कर रहा हो। यह कहना गलत है कि हमीरा मरा तो उसका काज करियावर मांगीलाल ने किया हो।

प्रतिवादीगण का गवाह उदयलाल जाट पेश हुआ है इस गवाह का कथन रहा कि जब हमीरा जीवित था तब वही जमीन पर काश्त करता था। उसके मरने के बाद घीसा काश्त कर रहा है। हमीरा का काज करियावर घीसा ने किया। जिरह मे इस गवाह ने कहा कि मै व मांगीलाल

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

भी बोल लेता हूँ। यह कहना गलत है कि हमीरा का काज करियावर मांगीलाल ने किया हो और उसके पगडंडी बन्धी हो। यह कहना गलत है कि हमीरा की जमीन पर मांगीलाल का कब्जा हो।

दोनो पक्षो द्वारा गवाही बन्द करने के पश्चात अभयपक्षो की बहस सुनी गयी।

वादी की और से की गयी बहस में बताया गया कि वादी हमीरा का भतीजा उसके कोई आल औलाद नही थी। उसने वादी को गोद लिए उसका काज करियावर वादी ने किया पगडडी भी वादी के बन्धी। हमीरा के मरने बाद उसका हमीरा की जायदाद पर कब्जा है। उसके गवाह ने व स्वंय वादी ने जो गवाह प्रस्तुत किये उसमे उन्होने वादी को हमीरा का गोद पुत्र होने के सशपथ बयान दिये है। प्रतिवादीगण ने वसीयत पेश की वह फर्जी एवम कूटरचित है प्रतिवादीगण ने किसी ठोस साक्ष्य से वसीयत को साबित नही करवाया है। प्रतिवादी घीसा के पास हमीरा नही रहा न प्रतिवादी घीसा का हमीरा की जमीन पर कब्जा नही है दावा डिकी फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से की गयी बहस में बताया गया है कि प्रतिवादी घीसा को उसकी सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न हो जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के जायदाद घीसा को दी। वसीयत रजिस्टर्ड होने से उसके फर्जी बताने का वादी का तर्क झूठा है वादी ने यह साबित नही करवाया है कि वसीयत को किस आधार पर वादी फर्जी बता रहा है। प्रतिवादीगण के प्रस्तुत गवाह उम्र दराज व्यक्ति होकर सिगोली के रहने वाले है जिनको हमीरा के बाबत सारी जानकारी है। हमीरा मरने के समय तक प्रतिवादी के पास रहा उसका काज करियावर प्रतिवादी घसा ने किया उसके ही हमीरा की पगडडी बन्धी प्रतिवादी घीसा का ही हमीरा की जायदाद पर कब्जा है। वादी द्वारा अपने को हमीरा का गोद पुत्र बताया गया है। किन्तु ऐसा कोई साक्षी या व्यक्ति को गवाही मे पेश नही किया। नही पंडित को पेश किया जिसने पग्गडी बांधी न ही वादपत्र मे ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे गोद की क्या रश्म की गयी रेकर्ड पर नही आया है कब किस की मौजूदगी मे गोद का दस्तूर हुआ इस बाबत भी वादी की कोई साक्ष्य नही है।

प्रतिवादी की और से यह बस रही है हिन्दुओ के गोद लेने का प्रभावी कानून बना है जो हिन्दु गोद एवम भरण पोषण अधिनियम 1956 दी हुयी है उसी प्रभावी कानून की पालना किये जाने पर ही किसी को गोद पुत्र न्यायालय मान सकता है। विकल्प मे ऐसी कोई व्यवस्था विधि मे नही है। यदि पुराने गोद लेने का वादी कथन करता है तो उसे किसने गोद लिया किसने गोद दिया । गोद का लेन देन केसे किसी रित से हुआ इसको सिद्व करवाना आवश्यक है। किसी मृतक की पग्गडी बंधने से कोई गोद पुत्र नही हो जाता है।

(अ) आर बीजे 2008 पेज 83 जिसमे उक्त अधिनियम की गोद बाबत प्रभावी धारा 6 से 11 तक की पालना होना आवश्यक बताया गया।

(ब) आर.आर.डी. 1986 पेज 432 जिसमे यह निर्णय हुआ है कि यदि गोद के बाबत किसी उत्सव बाबत गोदी व्यक्ति के गोद लेने बाबत लिये दिये जाने की साक्ष्य नही आयी है ओर केवल पग्गडी बांधने की साक्ष्य है तो पग्गडी बाधे के आधार पर गोद पुत्र होना नही माना जा सकता है।

(स) माननीय उच्चतम न्यायालय 2020 एम.वनजा बनाम एम सरला देवी मे गोद के बाबत किस प्रकार विधि की पालना को आवश्यक माना गया है उसकी अक्षर सह पालना कर ही गोद के तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है।

प्रतिवादी घीसा के पास पंजीकृत वसीयत नामा है इसलिए वही हमीरा की जायदाद का हकदार हो उसके नाम कृषि दर्ज की जानी चाहिये उसी का कब्जा होना माना जायगा दावा खारिज किया जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात व पत्रावली व पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन व साक्ष्य को पढे जाने व बहस पर गौर करने के पश्चात न्यायालय का तनकी वार निर्णय इस प्रकार है–

1. तनकी न0 एक –

जिसको सिद्व करवाने का भार वादी पर था किन्तु वादी ने जिस प्रकार से हमीरा का गोद पुत्र होना बताकर कृषि भूमि की खातेदारी मांगी है। उसके बाबत कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नही की है न किसी गवाह ने यह कहा है कि उसकी मोजूदगी मे किस रिति रिवाज के तहत गोद की

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

म होना उसने देखा। न ही ऐसा कोई दस्तावेज वादी ने पेश किया जिसमे वादी के पिता का नाम हमीरा लिखा गया हो न ही ऐसी कोई राजस्व रेकर्ड पेश किया है जिससे वादी का कब्जा कृषि भूमि पर हो जो गवाह गोद बाबत वादी ने पेश किये व गोद साबित कराने के लिए पर्याप्त होना यह न्यायालय नही मानता है गोद के बाबत प्रचलित कानून की पालना हुयी हो यह भी साबित नही हुआ है इसलिए इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्व किया जाता है। गोद बाबत प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत निर्णय इस मामले मे लागू होते है।

2. तनकी न0 2

इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादी पर था किन्तु वादी ने हमीरा की मृत्यु हो जाने बाद कृषि भूमि पर उसका कब्जा हो गया है किसी भी रेकर्ड वादी अपने कब्जे को साबित कराने मे असफल रहा है इसलिए यह तनकी वादी के विरूद्व तय की जाती है।

3. तनकी न0 3

इसको सिद्व कराने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादी घीसा ने हमीरा की घीसा के पक्ष मे लिखि रजिस्टर्ड वसीयत पेश की जिसमे यह विवरण दर्ज है प्रतिवादी घीसा के पक्ष मे वह वसीयत राजी खुशी से उसकी सेवा चाकरी से प्रसन्न हो कर रहा है उसकी मृत्यु के बाद धीसा उसकी सम्पति का मालिक व कब्जा होगा। वादी ने इस वसीयत के फर्जी होने का कथन किया है किन्तु यह साबित नही करवाया है कि वसीयत किन आधार व कारणो से फर्जी है ऐसी स्थिति मे वसीयत का फर्जी होना नही माना जा सकता है इसलिए वसीयत घीसा के पक्ष मे लिखी गयी व वसीयत कर्ता की मृत्यु के बाद उसकी जायदाद वसीयत ग्रहिता के कब्जे मे आयी यह माना जायगा। यह तनकी प्रतिवादी घीसा के पक्ष मे व वादी के विरूद्व तय की जाती है।

4. तनकी न04

इस तनकी को सिद्व करवाने के भार प्रतिवादीगण पर था। न्यायालय ने तनकी सख्या एक का निर्णय करते समय उन तथ्यो को उल्लेख किया है कि किन कारणो से वादी अपने को हमीरा का गोद पुत्र होना नही माना जा सकता है इसलिए पुनः उसको दोहराने की आवश्यकता नही होने से यह तनकी प्रतिवादीगण कमाक 1 व 2 के पक्ष मे तय की जाती है।

: आदेश :

अतः चूकि तनकी सख्या 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्व व तनकी सख्या 3 व 4 का निर्णय प्रतिवादीगण न0 3 व 4 के पक्ष मे किया गया है । अतः वादी द्वारा मोजा सिगोली प0ह0 सिगोली तहसील माण्डलगढ की कृषि भूमि आ0न0 524, 526, 532, 527,525, की बाबत घोषित किये जाने खातेदारी एवम स्थायी निषेघाज्ञा का प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner